

प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी उपस्थित।
अनुपस्थित/प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करने
हेतु दोनों पक्ष सहमत हैं। अतः प्रकरण लोक अदालत
में रेफर किया जाता है। पक्षरान दिनांक 18/5/17
को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।

18/05/2017

किशन लाल

रोशन लाल

राजपाल

मोहन लाल

अनुराज

एजावली आज राज लाल लोक अदालत
"न्याय अदालत" अमिताभ लाल
कमाल से पेश हुई। जाली एवं
अपराधीता स्वयं उपास्थित, जहाँ
राजनिता हेतु सहमत नहीं होने
से प्रकरण को लोक अदालत में लिया
जाया। जहाँ विचारण किया गया।
माँमा कमाल पल्लव हेतु कमाल
जो गुरु लाल जागुदा ली अमावसी संवत्
2070 से 73 ले खाला संवत्

क्रम संख्या

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर जारी तथा सूचनाएं जारी की गईं

395 में तल्लोत आरामियाल खिला 11 कुवा रहला 0.7950 हे० शुमि तखे ल हो गद्यु लल शुमि के प्रथीगल एवं अप्पथीगल संयुक्त खानेहार काश्तकार हो लल गल शुमि पर कज्जा भी प्रथीगल व विपक्षीगल का संयुक्त रूप से चला उठा नला हो विपक्षीगल का-का प्रथीगल के कज्जे कासत में हलवलकरी काले हो एवं शुमि के किछु कज्जे पर अमाहा ले नले हो ऐसी ऐसी में विपक्षीगल हो उमल कल्य कज्जे से दोषा जना निलाल आंवरयुक्त हो लल गल शुमि के प्रथीगल एवं विपक्षीगल संयुक्त खानेहार काश्तकार हो उमल लल संयुक्त खानेहारी शुमि का विधिवत विपक्षन नदी ले जाला लल लल उमल सह खानेहार प्रथेक शुमि का मालिक एवं स्वामी होले हो ऐसी ऐसी में हल गल को जरिये अल्पार्थ विवेहाला से पारनर दिया जना डायित प्रतीत होला हो

अल, उपरोक्त विवेधान के अल्लत पर प्रथीगल का प्रथीगल एना खीडा दूखा जाला हो एवं शुमि के मालिक परवाँ उमल कज्जे लललीन गज्जेका की जमावली संवत 2030 से 73 ल खला सख्या 395 में तल्लोत आरामियाल खिला 11 कुवा रहला 0.7950 हे० शुमि के मालिक एवं रेडि की पञ्चायत तखेले बनाये रहल लेल उमल दषा हो मूल लल ले निलाल लल जरिये अल्पार्थ विवेहाला से पारनर दिया जाला हो पञ्चायती मीवली ले डल माला से नला हो।
निलि हुनाया जला।

उप लिण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला, उदयपुर